राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00018
राजस्व वाद संख्या– 15/2019
दायर दिनांक– 03.06.2019
निर्णय दिनांक– 22.08.2025

उनवानी–

1. गिरधारी पुत्र गोपीराम, जाति मेघवाल, निवासी नवां, तहसील–रुपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. रायसिंह पुत्र बंशीलाल जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. अंजलि पुत्री रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. विशाल पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
4. कुन्दन पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. देवा पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
   प्रतिवादी संख्या 2 से 5 नाबालिग संरक्षक जरिये पिता रायसिंह
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रुपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।
7. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा सलेमाबाद, तहसील किशनगढ, अजमेर।

——प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादी

–निर्णय–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम रुपनगढ तहसील रुपनगढ में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार नया खाता संख्या 420 खसरा संख्या 782/1 जिसका नया खसरा संख्या 782 रकबा 10 बीघा में से वादी का हिस्सा 24/25 रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण 1 से 5 का हिस्सा 1/25 अन्तर्निहित दर्ज है प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 हिस्सा 1/25 के अलावा बाकी सम्पूर्ण हिस्सा वादी का अन्तर्निहित है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की पत्नि/माता के नाम दर्ज है। बनास पुत्री प्रेमराज की मृत्यु होने से वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 मृतक का पति व 2 से 5 तक पुत्र व पुत्रीयां है। इसलिए वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1से 5 तक पक्षकार बनाया गया है। वाद अधीन भूमि का मौके पर मय नींव सींव कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में निहित हिस्से अनुसार नाप चोक बंटवारा नही हो रखा है, इसलिए आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद–विवाद , लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारे हेतु दिनांक–11.03.2019 को निवेदन किया कि अपने मध्य उक्त भूमि का बंटवारा कर लेते है लेकिन प्रतिवादी ने कहा कि मैं किसी प्रकार का बंटवारा नही करुंगा, तुम्हे करना है तो तुम करवा लो। वाद अधीन कृषि भूमि के बाबत् आये दिन वादी से वाद विवाद करनें के कारण तथा दिनांक 11.03.2019 को प्रतिवादी द्वारा रुचि नहीं रखने के कारण कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादी का निहित हिस्सा 24/25 अनुसार नाप–चोप करके बंटवारा किये जाने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 11.03.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवारा करने से मना करने पर गांव रुपनगढ में उत्पन्न हुआ जो उक्त दिनांक से दिन प्रतिदिन जारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस उपरान्त प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार रूपनगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 5 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्मानुसार होगी :–

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबां (है0)	किस्म
1	गिरधारी पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल सा0 नवां हि0 पूर्ण खातेदार राहिन आई0सी0आई0सी0 बैंक शाखा सलेमाबाद	782/1	1.5532	बंजर–1
2	**बनास पत्नि रायसिंह की मृत्यु होने से उनकी विधिक वारिसान की जांच(प्राथमिक डिक्री से सत्यापित) होने के उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।** रायसिंह पुत्र बंशीलाल हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड़ जिला अजमेर अंजली पुत्री रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड, जिला अजमेर विशाल पुत्र रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर कुन्दन पु रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर देवा पुत्र रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर	782/2	0.0648	बंजर–1

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत व इजलास उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 15/2019

1. गिरधारी पुत्र गोपीराम, जाति मेघवाल, निवासी नवां, तहसील–रुपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. रायसिंह पुत्र वंशीलाल जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. अंजलि पुत्री रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. विशाल पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
4. कुन्दन पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. देवा पुत्र रायसिंह जाति गवारिया नि0 चमन चौराहा, सरवाड़, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
   प्रतिवादी संख्या 2 से 5 नावालिग संरक्षक जरिये पिता रायसिंह
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।
7. शाखा प्रवंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शांखा संलेमाबाद, तहसील किशनगढ़, अंजमेर।

——प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53रा0का0अधि0 1955

यह वाद जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिव मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह के समक्ष वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिकी किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से के वाद भूमि का निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	गिरधारी पुत्र गोपीराम जाति मेघवाल सा0 नवां हि0 पूर्ण खातेदार राहिन आई0सी0आई0सी0 बैंक शाखा सलेमाबाद	782/1	1.5532	बंजर–1
2	बनास पत्नि रायसिंह की मृत्यु होने से उनकी विधिक वारिसान की जांच(प्राथमिक डिकी से सत्यापित) होने के उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रायसिंह पुत्र बंशीलाल हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड़ जिला अजमेर अंजली पुत्री रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड, जिला अजमेर विशाल पुत्र रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर कुन्दन पु रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर देवा पुत्र रायसिंह हि0 1/5 जाति गवारिया सा0 चमन चौराया सरवाड़ तह0 सरवाड जिला अजमेर	782/2	0.0648	बंजर–1

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहंन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

यह डिकी पर्चा आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)